संख्या-86/2019/1478/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित केन्द्रपुरोनिधानित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत जनजातीय बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-57/2019/3746/26-3-2018, दिनांक-07.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित केन्द्रपुरोनिधानित वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत जनजातीय बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में गिरी विकास अध्ययन संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ को नामित किया गया था।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक्विचारोपरांत जनजातीय बाहुल्य जनपदों का बेसलाइन सर्वे कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में पूर्व में नामित गिरी विकास अध्ययन संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ के स्थान पर मानवशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासनादेश संख्या-57/2019/3746/26-3-2018, दिनांक-07.03.2019 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ.संख्या-86/2019/1478/26-3-2019 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. निदेशक, गिरी विकास अध्ययन संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. विभागाध्यक्ष, मानवशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सम्बन्धित जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।